मुनसिफ तौर पर, गलत या सही, यह तय किया कि पचास हजार और पछत्तर हजार की सीमा रहेगी, चलो वह शिकायत भी जाती रही, लेकिन अब वहां से आने के बाद कौन सी वजूहात नई निकलीं, श्री एन० सी० चैटर्जी की जबान में कौन सा नया रस था जिस की वजह से सीमा दाय भाग की पछत्तर हजार से एक लाख कर दी ! मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा अपना विउ यह था और मैं श्री देशमुख और गाडगिल साहब के दलायल से इत्मीनान रखता था कि मैंने सही राय कायम की कि हाउस में कहा कि पछत्तर हजार की लिमिट होनी चाहिये। मैं अब भी चाहता हूं कि बड़े बड़े आदमियों से रुपया लेकर वैलफेअर स्टेट के ऊपर खर्च किया जाय और पछत्तर हजार की लिमिट रक्खी जाय ताकि हमारे देश का खजाना कम न हो। यही हमारे देशमुख साहब और गाडगिल साहब की राय है। मैं अब भी इसी राय का हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप इस तरह से दोनों सिस्टमों में तमीज नहीं करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि देश का जो धन है जो दो चार दस आदमियों का अनआब्स्ट्रक्टेड (unobstructed) हेरिटेज है वह ले लिया जाय, जब तक वह नहीं लिया जाता तब तक हमारा काम नहीं चल सकता, तो कौन से कांटे से आपने तोला जिसकी रू से पचास हजार और एक लाख की तमीज रक्खी ? क्या वह कांटा था कि चूंकि आप ने अरबों, खरबों और संखों रुपया ज्वाइंट फैमिली से इन्कम टैक्स में ज्यादा वसूल किया है अस्सी वर्ष तक, इस लिये और भी उन से वसूल किया जाय। यह कोई वजह थी ? यह कोई बुनियाद थी ? अगर आप को तमीज करनी ही थी तो यह करते कि मिताक्षरा को करते एक लाख और दाय भाग को करते पचास हजार। जो भी पुराना रुपया उन से वसूल किया गया है अगर उसका आप को ख्याल था तो उसका यह असर होना चाहिये था।

इस लिये मेरी गुजारिश यह है कि जो मिताक्षरा की लिमिट पचास हजार की रक्खी है उस के बखिलाफ मेरी अब भी शिकायत है कि वह मुनासिब नहीं था। तमीज करना ही गलत था। फिर यह और भी गलत था कि ३५ आदमियों के रिपोर्ट देने के बाद एक दम बिना किसी माकूल वजह के उन की सीमा को पछत्तर हजार से एक लाख कर दिया। क्यों ऐसा किया गया मैं इस को समझ नहीं सका। यह मामला इतना ही नहीं है।.....

Mr. Chairman: Is the hon. Member likely to take some more time?

Pandit Thakur Das Bhargava: Yes.

Mr. Chairman: The House will now adjourn till 4 P.M.

The House then adjourned till Four of the Clock.

The House reassembled at Four of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MESSAGE FROM THE COUNCIL OF STATES

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of the Council of States:

"In accordance with the provisions of rule 125 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, I am directed to inform the House of the People that the Council of States, at its sitting held on the 12th September, 1953, agreed without any amendment to the Andhra State Bill, 1953, which was passed by the House of the People at its sitting held on the 27th August, 1953"